राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/7/20	92/2015 सीमा शर्मा / जज आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र WITHDRAW एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश हुई। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुख्य रूप से यही आपत्ति दर्ज करवाई गयी की प्रार्थी रेस्पो. द्वारा दिनांक 14/02/2020 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC प्रस्तुत कर मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति चाही गयी थी जो आदिनांक तक लम्बित चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी रेस्पो. द्वारा यह आपत्ति भी दर्ज करवाई गयी की अपीलार्थी द्वारा गलत तथ्यों पर अपील प्रस्तुत कर रेस्पो. को हैरान परेशान किया गया है एवं रेस्पो. ने इस पेरवी हेतु काफी राशी भी खर्च की है अत: यदि अपील WITHDRAW की जावे तो उससे पूर्व 1 लाख रूपये की COST राशी रेस्पो. को अपीलार्थी से दिलवाई जावे। जिसके जवाब में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16/01/2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील विधि द्वारा स्थापित नियमो के अन्तर्गत श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिसमे अपीलार्थी द्वारा भी वकील नियुक्त कर काफी राशी खर्च की गयी है किन्तु अब अपीलार्थीगण की आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक स्थिति ऐसी नही है की वे इस अपील को आगे चला सके एवं प्रकरण में आगे कोई राशी खर्च कर सके इसलिये अपीलार्थीगण द्वारा आपसी समझ के आधार पर इस अपील को WITHDRAW करना चाह रहे है जिसमे कोई विधिक त्रुटी नही है एवं न ही अपीलार्थी गण की ऐसी आथिक स्थिति है की वे रेस्पो. को किसी प्रकार की COST अदा कर सके। अत: अपील WITHDRAW फरमाई जावे॥ हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया अपीलार्थी गण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16/01/2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमे रेस्पो. संख्या 1 द्वारा दिनांक 14/02/2020 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC बाबत विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे जाने का पेश किया गया, जिसके सन्दर्भ में रेस्पो. की यह आपत्ति की उक्त प्रार्थना पत्र के लम्बित रहते हुये अपील WITHDRAW नही फरमाई जा सकती, उचित प्रतीत नही होती है क्योकि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपिलाधीन निर्णय से व्यथिक होकर ही यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है जिसमे प्रस्तुत कोई भी प्रार्थना पत्र अपील के लम्बित रहने के दौरान ही प्रभाव में रह सकता है अथवा उक्त प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश का प्रभाव भी अपील के लंबित रहने तक ही कायम रहता है किन्तु चुंकी जब अपीलार्थी अपनी अपील को ही WITHDRAW करना चाह रहे है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र भी		

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
92/2015	

प्रभावहीन हो जाता है इसके अतिरिक्त अपील WITHDRAW किये जाने से पूर्व रेस्पो. को COST की राशी दिलाने का जहा तक प्रशन है तो इस सन्दर्भ में अपीलार्थीगण द्वारा जवाब बहस अवगत कराया गया तथ्य की उनकी आर्थिक एवं अन्य स्थिति अब इस अपील को आगे चलाने में उपयुक्त नही रही है, के आधार पर न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है | चूँकि अपीलार्थीगण अपनी इस अपील को अब आगे चलाने हेतु समर्थ महसूस नही कर रहे है एवं अपील WITHDRAW करना चाहते है जिसमे कोई विधिक त्रुटी नही होने से रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति ख़ारिज किया जाकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र WITHDRAW स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलार्थीगण WITHDRAW किये जाने से ख़ारिज की जाती है

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर